राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/21349 दिनांक : 21/10/2021

आदेश

विषयः– "प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021" के दौरान नगरीय निकायों में वार्डवाइज कैम्प लगाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा आम जनता को अधिक से अधिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के नगरीय निकायों में **"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021"** का मुख्य चरण दिनांक 02.10.2021 से 31.03.2022 तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक लाभांवित करना तथा उनसे संबंधित प्रकरणों/समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर राहत प्रदान करना हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की प्रत्येक निकाय जनता की सुविधा के लिए वार्डवाइज या कुछ वार्डो को मिलाकर शिविर आयोजित किए जावे। प्रत्येक वार्ड में शिविर अवधि तीन दिवस की रखी जावे तथा आम जनता से प्राप्त आवेदनों/समस्याओं का निस्तारण शिविर स्थल पर ही किया जावें।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना कड़ाई से की जावे अन्यथा संबंधित के विरूद्ध राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना के लिए कठोर कार्यवाही की जावेगी।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : PSKS अभियान–21/डीएलबी/2021/21350-577 **दिनांक :** 21/10/2021
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
06. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
07. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान को पर्यवेक्षण हेतु।
08. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, राजस्थान को पालनार्थ।
09. संयुक्त निदेशक, आईटी अनुभाग, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. रक्षित प्रति।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक